

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No.07 /2021
GST Circular No. 05 /2021

No. 2018/AC-II/1/57

3rd February, 2021

General Managers
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Novation Agreement for contracts under EBR-S Source of funding.

Ref: Railway Board's letter dated 15th January, 2021 (RBA No. 003/2021)

Please connect Railway Board letter ibid wherein it was mentioned that one time novation agreement from 1.1.2021 to 31.3.2021 may be entered with the Contractors, to ensure that the bills preferred by the Contractors are in the name of IRFC with IRFC's GST credentials. Some of the Zonal Railways have expressed the difficulties in entering into Novation Agreement with multiple agencies, given the huge volume of Contracts that would require Novation Agreement. Given the administrative difficulties, it is advised that all the Zonal Railways and Production Units may write to the concerned Contractors under the existing Contracts clause, to submit bills in the name of IRFC using the IRFC's GST credentials till 31.3.2021, without entering the novation agreement. Kindly ensure compliance of the above and utilization of funds provided under EBR-S till 31.3.2021.


(Gaurav)
Director CE/G
Railway Board


(V.Prakash)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. EDFX-I, Railway Board
2. PFAs, PCEs, PCSTE, PCEE, PCME, PCMM, All Zonal Railways and Production Units,
3. CAOs/Const, FAs/Construction All Zonal Railways and Production Units,
4. MD/IRFC, GM/Finance/IRFC
5. Joint Director/RM, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.

भारत सरकार/(Government of India)

रेल मंत्रालय/(Ministry of Railways)

रेलवे बोर्ड/(Railway Board)

आरबीए सं. 07/2021

जीएसटी परिपत्र सं. 05/2021

3 फरवरी, 2021

सं. 2018/एसी-II/1/57

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय :- वित्तपोषण के ईबीआर-एस स्त्रोत के अंतर्गत संविदा के लिए नवीनता करार।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दिनांक 15 जनवरी, 2021 का पत्र (आरबीए सं. 003/2021)।

कृपया रेलवे बोर्ड का उक्त पत्र देखें, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ठेकेदारों के साथ एकबारगी नवीनता करार दिनांक 01.01.2021 से 31.3.2021 तक किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदारों द्वारा दिए गए बिल आईआरएफसी के जीएसटी प्रत्यय-पत्रों के साथ आईआरएफसी के नाम पर हों। नवीनता करार किए जाने वाले ठेकों की बड़ी संख्या को देखते हुए कुछ क्षेत्रीय रेलों ने विभिन्न एजेंसियों के साथ नवीनता करार किए जाने में कठिनाइयां व्यक्त की हैं। प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए, यह सलाह दी जाती है कि सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां संबंधित ठेकेदारों को संविदा के मौजूदा खंडों के अंतर्गत लिखित में दे सकते हैं कि वे नवीनता करार किए बिना दिनांक 31.3.2021 तक आईआरएफसी के जीएसटी प्रत्यय-पत्रों का प्रयोग करते हुए आईआरएफसी के नाम बिल प्रस्तुत करें। कृपया उपरोक्त का अनुपालन और ईबीआर-एस स्त्रोत के अंतर्गत दिनांक 31.3.2021 तक उपलब्ध निधि का प्रयोग सुनिश्चित करें।



(गौरव)

(वी. प्रकाश)

निदेशक सीई/जी

निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. ईडीएफएक्स-1, रेलवे बोर्ड।
2. पीएफए, पीसीई, पीसीएसटीई, पीसीईई, पीसीएमई, पीसीएमएम, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
3. सीएओ/निर्माण, एफए/निर्माण सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
4. एमडी/आईआरएफसी, जीएम/वित्त/आईआरएफसी।
5. संयुक्त निदेशक/आरएम, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।